मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति 15 जनवरी तक

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य की सामान्य मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन सोमवार को कर दिया गया। सूची में नाम जुड़वाने, विलोपन, प्रविष्टियों में सुधार या एक ही विधानसभा में अपना मतदान केन्द्र बदलने के लिए दावा-आपत्ति आगामी 15 जनवरी तक दी जा सकती है। इन बदलावों के बाद तैयार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी को किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या सात करोड़ 58 लाख 16 सौ 52 है।

पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 73 लाख 5 हजार 970 है जबकि

07 करोड़ 58 लाख 16 सौ 52 कुल मतदाता हैं बिहार मे

महिला मतदाता 3 करोड़ 32 लाख 72 हजार 462 और ट्रांसजेंडरों की संख्या दो हजार 220 है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची दुरुस्त करने को राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया था। इसकी समाप्ति 30 नंवबर को हुई थी। अनुपस्थित, प्रवासी या मृत मतदाताओं को चिह्नित कर उनका नाम हटाया गया है, जबकि तमाम मतदाताओं के नाम जोड़े गये हैं।

ऑन लाइन कर सकते हैं आवेदन

दावा-आपत्ति के बाद मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। कोई भी आवेदक दावा-आपत्ति की निर्धारित अवधि में www.nvsp.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यह सुविधा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी उपलब्ध है।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ या निकट स्थित प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं। आगामी साल में विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए निर्वाचक सूची की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।